कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक 1288/8एम

दिनांक 24-5-2023

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नगर)
आगरा।

विषयः रिलाइन्स जियो बी0पी0 मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या–316 ग्राम नगला दूल्हे खाँ, तहसील–खेरागढ़, जिला आगरा में चन्दौसी आगरा तॉतपुर कोट मार्ग (राज्य मार्ग सं0–39,UC- 151261) के चैनेज 242.576 से 242.636 के दांयी ओर पेट्रोल (रिटेल आउटलेट) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के कार्यालय पत्रांक 2889/116सी0–आ0क्षे0/2023 दिनांक 10.05.2023 एवं अपर जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक 694/आब0सहा0 दिनांक 08.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 2889/116सी0–आ0क्षे0/2023 दिनांक 10.05.2023 के अनुमोदनोपरान्त पेट्रोल (रिटेल आउटलेट) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ निर्गत की जाती है।

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट निर्माण चन्दौसी आगरा तॉतपुर कोट मार्ग (राज्य मार्ग सं0–39,UC. 151261) के चैनेज 242.576 से 242.636 के दांयी तरफ यू0पी0 रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के अनुसार मार्ग के मध्य बिन्दु से 22.86 मी0 की दूरी पर बफर स्ट्रिप तथा 33.46 मी0 की दूरी पर पम्प आइज लैण्ड निर्माण पर विभाग को कोई आपत्ति नही है जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है।
2. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या– 53/2022/1873 /23– 12–2022 –1365/17टीसी, लोक निर्माण अनुभाग–12, दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 में दी गयी गाइड लाइनों में निहित नियमावली के अनुरूप होना चाहिए जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मै0 रिलाइन्स जियो बी0पी0 मोबिलिटी लिमिटेड का होगा।
3. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा तथा इस क्षति के लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
4. आवेदक को उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या–53/2022/1873 /23– 12–2022–1365/17 टीसी, लोक निर्माण अनुभाग–12, दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 में दी गयी गाइड लाइन की शर्त 3.12 के अनुसार धनराशि निम्नप्रकार जमा करनी है।

i. शासनादेश की शर्त 3.12(I) के अनुसार प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 10,000.00 मात्र का डी0डी0 संख्या 000297 दिनांक 21.01.2023 एक्सिस बैंक, शाखा–सादाबाद, हाथरस द्वारा जमा की जा चुकी है।

ii. शासनादेश की शर्त 3.12(II) के अनुसार रू0 20,000.00 मात्र का डी0डी0 संख्या 000298 दिनांक 21.01.2023 एक्सिस बैंक, शाखा–सादाबाद, हाथरस द्वारा जमा की जा चुकी है।

iii. शासनादेश की शर्त संख्या 3.12(III) के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त रू0 2,50,000.00 मात्र की एच0डी0एफ0सी0 बैंक सिकन्दरा आगरा के द्वारा निर्गत बी0जी0 संख्या–560GT02230830002 दिनांक 24.03.2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिये अधोहस्ताक्षरी के नाम बन्धक करते हुए जमा करा दी गयी है।

iv. शासनादेश की शर्त संख्या 3.12(IV) के अनुसार राजकीय भूमि को उपयोग में लाने की फीस रू0 3,00,000.00 मात्र का डी0डी0 संख्या–000313 दिनांक 27.02.2023, एक्सिस बैंक, शाखा–सादाबाद, हाथरस द्वारा एक मुश्त जमा कराते हुए 15 वर्ष की अवधि के लिए लीज डीड एग्रीमेंट निर्धारित प्रपत्र पर लो0नि0वि0 से कराकर जमा करा दिया गया है।

5. प्रस्तावित निर्माण स्थल से किसी भी प्रकार के पानी का बहाव लो0नि0वि0 के मार्ग की ओर नही होना चाहिए एवं पानी निकास हेतु नाली व पुलिया एंव पहुँच मार्ग का निर्माण आवेदक को स्वयं के खर्चे पर करना होगा जिस पर स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का होगा। पुलिया का ऊपरी सतह का लेविल मार्ग के लेपित सतह से 50 से0मी0 नीचे रहना चाहिए तथा आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं बर्साती पानी का बहाव इस प्रकार करना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये। किसी भी दशा में नाली को बन्द नही किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में मार्ग पर न आने पाये।
6. आवेदक को पहुँच मार्ग एवं पुलिया के निर्माण की अनुमति एवं भूमि की लीज, निर्माण कार्य कराने से पूर्व निर्धारित प्रपत्रों में इस विभाग से प्राप्त करनी होगी।
7. प्रस्तावित निर्माण कार्य से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नही होनी चाहिए।
8. प्रस्तावित स्थल के भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग/सम्बन्धित विभाग से करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। यदि प्रस्तावित स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई भी विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाये।
9. समय–समय पर निर्गत विभागीय/शासकीय शासनादेश ही अन्तिम माना जायेगा जो आवेदक को मान्य होगा। दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र कभी भी बिना कारण बताये निरस्त अथवा वापिस लिया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त/प्रतिबन्ध का पालन न होने पर तथा भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई भी वाद–विवाद होने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

अतः प्रकरण मूल रूप में संस्तुति सहित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– 1. मानचित्र दो प्रतियों में एवं उपरोक्तानुसार।
2. मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के पत्र की छायाप्रति।

(जी0के0 वार्ष्णेय)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–2 लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक / दिनांक / /

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी सहायक अभियन्ता, नि0ख0–2, लो0नि0वि0, आगरा के द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0)/एन0ओ0सी0 सहायक, नि0ख0–2, लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–2 लो0नि0वि0, आगरा

प्रभारीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा